रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 344] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 20, 1984/श्रावण 29, 1906
No. 344] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 20, 1984/ASADHA 29, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1984

का. आ. 525(अ).—भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-2, खंड 3, उप-खंड (2) में प्रकाशित भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग), की अधिसूचना का. आ. सं. 368(ई.) दिनांक 21 मई, 1983 में आंशिक रूप से भेद करते हुए, उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 6 में उल्लिखित "एसेम्बली लाइन से किसी विशिष्ट गाड़ी को चुनने के लिए सक्षम होगी" शब्दों के स्थान पर "एसेम्बली लाइन से किसी विशिष्ट गाड़ी को या निर्माता के किसी भी अधिकृत विक्रेता से चुनने के लिए सक्षम होगी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[फा. सं. 10(5)/84-ए.इ.आई.-1]

के. एस. बेन्स, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17 July, 1984

S.O. 525(E).—In partial modification of the Notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Heavy Industry) No. S. O. 368(E) dated 21st May, 1983, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II-Section 3-Sub-section (ii), the Ministry of Industry (Department of Heavy Industry) hereby makes the following amendments in the said notification :—

In the said notification the words competent to select any particular vehicle from the assembly line" appeoring in para 6 shall be substituted with the words "competent to select any particular vehicle from the assembly line or from any of the authorised dealers of the manufacturer".

[F. No. 10(5)|84-A.E.I.-I]

K. S. BAINS, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984